भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1233

सोमवार, 25 नवम्बर, 2019/04 अग्रहायण, 1941 (शक)

श्रम कानूनों की समीक्षा

†1233. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुराने श्रम कानूनों का मानकीकरण और समीक्षा करके उनके स्थान पर नए कानून लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित बदलाव क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में औद्योगिक क्षेत्र सहित सभी हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित बदलावों का कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): समय की मांग को देखते हुए विधायी तथा शासन प्रणाली में अद्यतन कर श्रम कानूनों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है ताकि इसे और अधिक प्रभावी, लचीला तथा उभरते हुए आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य के अनुरूप बनाए जा सके। तद्नुसार, श्रम पर द्वितीय राष्ट्रीय आयोग की सिफारशों के क्रम में, मंत्रालय ने मौजूदा 4 श्रम संहिताओं के प्रावधानों का आमेलन, सरलीकरण तथा औचित्यकरण द्वारा चार श्रम संहिता अर्थात वेतन संहिता; औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता के प्रारूप तैयार करने के उपाय किए हैं। इन 4 श्रम संहिताओं में से, वेतन संहिता, 2019 दिनांक 8 अगस्त, 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता, 2019 दिनांक 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पेश की गई थी तथा तदुपरांत, जांच हेतु श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजी गई थी। औद्योगिक संबंध संहिता को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है तथा सामाजिक सुरक्षा संहिता पूर्व-विधायी स्तर पर है।

सरकार ने श्रम संहिताओं को तैयार करने में त्रिपक्षीय परामर्श के रूप में केंद्रीय श्रमिक संघों, नियोक्ता एसोसिएशनों और राज्य सरकारों सहित हितधारकों के साथ परामर्श किया है।

******